

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....रूपबास.....मुकाम रूपबास, जिला भरतपुर.....अरवि सिंह

बनाम.....

सत्यवीर शर्माफैरम मुकदमा प्र. प्र. 212 अ. 11

नं०

165/25सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.07.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में होना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख.न. 781 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 782 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाके ग्राम मिल्सवाँ रूपबास तहसील रूपबास में मौके की यथास्थिति बनाए रखे। इस आज्ञा बाबत कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 20.08.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब पेश करे। आदेश 39 नियम 3 (क)(i)(ii)सी.पी.सी की पालना प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा करवाई जावे अन्यथा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही खारिज समझी जावेगी। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्यक नोटिस से की जाकर पत्रावली दिनांक 20.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रूपबास (भरतपुर)</p>	
20/8/25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। सूनुसार पत्रावली दिनांक 27/10/25 को पेश हो।</p>	
27/10/25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। बार-2, 3 एवं अंतरालों में प्रार्थी एवं उभय पक्षों को न्यायालय द्वारा भी आपाप दिखाने के बावजूद प्रार्थी एवं उभय पक्षों न्यायालय द्वारा भी उपस्थित नहीं शायद उभय पक्षों का प्रार्थना पत्र</p>	

FORM No. 111

फर्द अहकाम
(नियम 10)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम रूपबारा, जिला मधेशपुर
बनाम.....
किस्म मुकदमा..... नो.....

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इति आत्य जज	शेख
	<p>अ. द. अ. फ. नं. १० में स्थापित किया जाता है पाठली ५ फासल हुमाट दाल नुम्बर के लभ हो। दाल दाल हो। दाल</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>अखण्ड अधिकारी रूपबारा</p>	<p>नाम व तारीख अहकाम की हुकम की जा में जारी हुए</p>

अखण्ड अधिकारी
(मुकाम) रूपबारा